

तारीख
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

6/6/22

पत्रावली पेश हुई।
जज हम दीगर का कायों
के बयान है। अतः अस्तित्व लेकर
पत्रावली आइन्दा. 21/6/22 के पेश हो।

21/06/22

पत्रावली गठ पेश हुई। कबील कादीगठ मद्रपदियत
पत्रावली का कालेफत मद्रपदियत किया गया। कादीगठ
द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 2/8/19 के न्यायालय
के माफ़ कराना का लागत 3 वर्षों के मद्रपदियत
कालेफत मद्रपदियत लिये लगे के प्रमाण भी दिखाई
भी तालकी नहीं करवाई गई है इसके यह
प्रतीत होता है कि कादीगठ के प्रार्थना के
निष्पत्तियों की उक्त प्रमाण प्रकरण में यह
कोई कति नहीं रही है। तालकी के
लागत प्रमाण प्रकरण कालेफत मद्रपदियत।
9 दिनांक 5 एल के ताल खारिज किया गया
है पत्रावली शिर्कीन पुस्तक होनी शिर्कीन पत्रावली

पुनी
सहायक कालक्टर
SDO (मुजफ्फरगढ़)





रामे,

श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदयजी,
गुडामालानी जिला बाडमेर ।

प्रार्थीगण :-

1. सरजु पत्नी वरिगाराम उम्र 80 वर्ष निवासी रावली नाडी
2. पांचाराम पुत्र श्री हरीराम उम्र 35 वर्ष निवासी उदाणियो की ढाणी
3. ऐलची पत्नी सुखराम उम्र 55 वर्ष निवासी नगर
जाति विश्‍नोई तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. श्रीमति मंगलीदेवी पत्नी श्री प्रेमराम उम्र 50 वर्ष
2. श्रीमति प्यारीदेवी पत्नी श्री देवाराम उम्र 38 वर्ष
3. श्रीमति कमलादेवी पत्नी श्री कन्हेयालाल उम्र 28 वर्ष
जाति विश्‍नोई निवासी नई उन्दरी हाल नगर तहसील गुडामालानी
4. मैनेजर भूमि विकास बैंक बालोतरा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम वास्ते करने लठा ट्रेस मे तरमीम दुरुदस्ती

महोदयजी,

प्रार्थीगण आवेदन पत्र निम्न प्रकार है :-

1. कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत मौजा नगर तहसील गुडामालानी मे खसरा नम्बर 523 /2 रकबा 11-01 बीघा किस्म बारानी सोयम की आई हुई है । जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर पुर्व मे किये बहामी बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण की रहवासी ढाणिया टाके पशुबाडे आदि मौके पर बने हुये है । उक्त खसरान की नकल जमाबंदी व नक्शा साथ पैश है । तथा मौका कब्जा काश्त का परिशिष्ट क साथ पैश है ।

2/8/17
रामे